बिहार विधान सभा

अष्टादश बिहार विधान सभा

प्रथम सत्र

कार्य सूची

5 दिसंबर, 2025

11:00:00

----

1. **समितियों का गठन**

(1) संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2025-27 की शेष अवधि यथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2027 तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240 (1) एवं 241 (1) के परंतुक के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें"।

(2) संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "यह सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240 (1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2025-27 की शेष अवधि यथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2027 तक सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः चार, छः एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हों तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें "।

2. **सभा के समक्ष कागजात का रखा जाना**

(1) सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के तहत् बिहार लोक सेवा आयोग का वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।

(2) जल संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा-45(1) के आलोक में बिहार की निर्दिष्ट बाँधों की सुरक्षा स्थिति का वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।

(3) पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146(2) के आलोक में "बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2025" की एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।

3. याचिकाओं का उपस्थापन ।

4. **वित्तीय कार्य**

(1) वित्तीय वर्ष 2025-2026 की द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग [ग्रामीण विकास विभाग] पर वाद-विवाद एवं मतदान होगा तथा शेष अनुदानों की मांग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा लिया जायेगा।

[मांग एवं कटौती प्रस्ताव की सूची अलग से वितरित की जा रही है]

5. **विधायी कार्य**

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

(1) **"बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2025"**

(i) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2025" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(ii) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(iii) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2025" पर विचार हो।

(iv) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2025" स्वीकृत हो।

6. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।

7. अध्यक्ष का समापण भाषण ।

डॉ. ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा

पटना-800015
दिनांकः04 दिसम्बर 2025